

अनुदान संख्या 48 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)

GRANT No. 48-DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	403,98,00	404,01,00	351,74,15
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			49,74,94
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2,00,00	2,49,00	2,49,00
पूरक	Supplementary	49,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	22657.00	17663.18	17483.06
पू.	S.	3.00		
पु.	R.	-4996.82		
				-180.12

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Head Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	3500.00
पु.	R.	-3500.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	13370.00	17258.52	17208.84
पु.	R.	3888.52		-49.68
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	386.00	13.32	13.31
पु.	R.	-372.68		-0.01

(I) 4887.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4765.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर को अनुदान"- 1015.00 लाख रु. संस्थान के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए प्रावधान"- 3500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(I) Provision of Rs.4887.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.4765.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Unani - Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore"- Rs.1015.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year with the Institute.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for North Eastern States and Sikkim"- Rs.3500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on

परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम"- 250.00 लाख रु. निधियां जारी किए जाने संबंधी उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां"-

(क) "आयुर्वेद - दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल"- 3486.33 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य पद्धतियां - अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्ध-सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठन) आदि के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान"- 452.94 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने जिसके परिणामस्वरूप अनुदान जारी किए जाने संबंधी नए उपयुक्त प्रस्तावों के पर्याप्त संख्या में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान"-

(क) "आयुर्वेद - आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद को अनुदान"- 167.25 लाख रु. की बचत (4006.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिषद के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) "होम्योपैथी - होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद को अनुदान"- 180.00 लाख रु. की बचत (1590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, नोएडा की भवन

projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim.

(C) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - Scheme for AYUSH Hospitals"- Rs.250.00 lakhs - due to non-receipt of suitable proposals for release of funds.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines"-

(a) "Ayurveda - National Ayurvedic Hospital in Delhi" - saving of Rs.3486.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal by the Expenditure Finance Committee.

(b) "Other Systems - Grants for Extra Mural Research Projects through Research Institute (Private/Semi Government/ Government/Universities/NGO) etc." - saving of Rs.452.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to change in funding pattern leading to non-receipt of sufficient new suitable proposals for release of grants.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha" - saving of Rs.167.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4006.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the Council.

(b) "Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - saving of Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1590.00 lakhs) was due to less requirement of funds for

निर्माण परियोजना के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) “अन्य प्रणालियां - मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान”- 122.70 लाख रु. की बचत (375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भवन की निर्माण लागत में कमी होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन”- 232.52 लाख रु. की बचत (3720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां-अन्य पद्धतियां - आयुष औषधालयों के लिए स्कीम”- 1034.40 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से सहायता अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(IV) छह शीर्षों के अंतर्गत 482.29 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5503.42 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2210”- “चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - यूनानी औषधि में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद को अनुदान”- 348.64 लाख रु.।

Building Project of Central Research Institute, Noida.

(c) “Other Systems - Morarji Desai National Institute of Yoga” – saving of Rs.122.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.375.00 lakhs) was due to reduction in cost of construction of new building.

(III) Under Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Medical Education, Training and Research – Ayurveda – Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” – saving of Rs.232.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3720.00 lakhs); and

(B) “Urban Health Services – Other Systems of Medicine – Other Systems – Scheme for AYUSH Dispensaries” – saving of Rs.1034.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-release of Grants-in-aid for want of utilisation certificates.

(IV) Under six heads savings of Rs.482.29 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 17 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.5503.42 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2005 and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2210” - “Medical Education Training and Research - Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicine” - Rs.348.64 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण"- 862.24 लाख रु.। तथापि, अधिक व्यय 813.22 लाख रु. था।

(ख) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - आयुष अस्पतालों के लिए स्कीम"- 4292.54 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - औषधीय वनस्पतियों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई"- 491.97 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Medical Education, Training and Research - Ayurveda - Quality Control of ASU&H Drugs" - Rs.862.24 lakhs. Actual excess, however, was Rs.813.22 lakhs.

(b) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - Scheme for AYUSH Hospitals" - Rs.4292.54 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" - "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - Setting up of National Board for Medicinal Plants" - excess of Rs. 491.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim.